

143

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक एफ 6-1/2002/आ.प्र./एक,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर, 2010.

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय:-सीधी भरती से भरे जाने वाले जिला-स्तरीय पदों के लिए संशोधित 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर का निर्धारण।

—0—

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.08.2002 द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 में संशोधन कर आरक्षण रोस्टर संबंधी संशोधित अनुसूची-‘एक’, ‘दो’ एवं ‘तीन’ स्थापित की गई थी। इसकी अनुसूची-तीन में जिला-स्तरीय रोस्टर लागू किया गया था जो वर्ष 1991 की जनगणना पर आधारित था। वर्ष 1991 के बाद अनेक नए जिलों का गठन हुआ, जिससे नवगठित जिलों तथा उनके मूल जिलों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में परिवर्तन आया है। अतः वर्तमान जनसंख्या के अनुसार नवीन आरक्षण रोस्टर की मांग को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.09.2010 द्वारा वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित जिलास्तरीय संशोधित नवीन आरक्षण रोस्टर अधिसूचित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

2/ संशोधित आरक्षण रोस्टर अधिसूचना जारी होने के दिनांक 21.09.2010 से प्रभावशील होगा। अर्थात् इस तिथि के बाद जिलों में की जाने वाली सामान्य नियुक्ति (अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) रोस्टर के बिन्दु क्रमांक 1 से प्रारंभ की जाएगी।

3/ पूर्व संधारित रोस्टर दिनांक 21.09.2010 की स्थिति में जिस बिन्दु तक संधारित हुआ है, उसे उसी बिन्दु पर रोक दिया जाए तथा उक्त रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग/कैरीफारवर्ड पदों को एक सुभिन्न समूह के रूप में रखते हुए उन पदों की नियमानुसार पूर्ति कर उसी रोस्टर में उनके लिए निर्धारित बिन्दुओं के सामने अंकित किये जाए।

4/ कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(आर.के. गजभिये)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां क्रमांक एफ 6-1/2002/आ.प्र./एक,

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर, 2010.

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
4. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. मंत्री/राज्य मंत्री गण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल।
10. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर।
11. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
12. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल।
13. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के. गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

असाधारण राजपत्र <http://govtpressmp.nic.in/pdf/extra/2010-09-21-458.pdf>
पर उपरोक्त है।